UPAG010062692026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0 अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03, आगरा।
उपस्थित : विकास गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP6172

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2643/2026

सनी पुत्र नरेश निवासी हरिजन पुरवा थाना ठठिया जिला कन्नौज।

..............................प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 324/2018
विशेष सत्र परीक्षण संख्या 200/2019
धारा 392, 411 भारतीय दण्ड संहिता
थाना एत्मादपुर, जिला आगरा।

<u>दिनांक : 05.06.2026</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त सनी की ओर से विशेष सत्र परीक्षण संख्या 200/2019 मुकदमा अपराध संख्या 324/2018 अन्तर्गत धारा 392, 411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार जितेन्द्र के शपथ पत्र से समर्थित है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त सनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया

है कि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में पूर्व में जमानत पर था, काफी समय पहले प्रार्थी को पीलिया रोग हो गया जिसका इलाज काफी समय चला, तत्पश्चात प्रार्थी का एक्सीडेंट हो गया और हाथ टूट गया जिसकी सूचना वह अपने अधिवक्ता को नहीं दे सका और न ही न्यायालय में हाजिर हो पाया जिससे उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट हो गए। प्रार्थी जानबूझकर गैर हाजिर नहीं हुआ। प्रार्थी दिनांक 26.05.2026 से कारगार में निरूद्ध है। वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में हाजिर होता रहेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है जिसके कारण विचारण प्रभावित हुआ है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त सनी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 43560/2018 में पारित आदेश दिनांकित 16.11.2018 द्वारा इस अभियोग में जमानत पर था। विचारण के दौरान अभियुक्त के उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी करने का आदेश किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि पीलिया रोग एवं एक्सीडेंट हो जाने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, भविष्य में वह न्यायालय में निरन्तर उपस्थित होगा। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त सनी के विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट के अनुक्रम में प्रार्थी/अभियुक्त सनी दिनांक 26.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के

पूर्व में जमानत पर होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई अन्य मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त सनी का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी/अभियुक्त सनी की ओर से विशेष सत्र परीक्षण संख्या 200/2019 मुकदमा अपराध संख्या 324/2018 अन्तर्गत धारा 392, 411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0. 50,000/– (पचास हजार) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर, प्रार्थी/अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त पुनः जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।

(विकास गोयल)
(I.D. UP6172)
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0 अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03
आगरा।

Digitally signed by Vikas Goyal
Date: 2026.06.05 11:51:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court